

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2258 /2022


दिनांक : 22-07-2022

श्री अजीत सिंह राठौड़ (RJ0925), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, पाली को दिनांक 07.06.2022 से 14.06.2022 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश (ग्रीष्मवकाश की निरन्तरता में) स्वीकृत किया जाता है।

श्री राठौड़ की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा), पाली/अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, पाली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, पाली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/182/2015/5251

दिनांक 22-07-2022

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 2156 दिनांक 28.06.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजीत सिंह राठौड़ (RJ0925), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, पाली।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, पाली।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा), पाली।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, पाली।


सहायक रजिस्ट्रार